संख्या- 7/2020/2482/71-1-2020-जी-89/2017

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 03 जनवरी, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई- हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि प्रदेश के 06 पुराने राजकीय मेडिकल कालेजों यथा आगरा, झॉसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा गोरखपुर एवं 02 संस्थानों यथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु लोकल एरिया नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए शासनादेश संख्या-88/2018/1296/71-1-2018-जी-89/2017, दिनॉक 30.03.2018 द्वारा रू0 31,51,27,608.45 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस संबंध में आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2019/348, दिनॉक 21-08-2019 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 06 पुराने राजकीय मेडिकल कालेजों यथा आगरा, झॉसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा गोरखपुर एवं 02 संस्थानों यथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु शासनादेश दिनॉक 30.03.2018 द्वारा स्वीकृत की गई परियोजना की मूल लागत रू0 31,51,27,608.45 में एल-1 घोषित फर्म मै0 इन्सप्रा इन्टरप्राइजेज इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा ई-निविदा में कोट की गई जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 5,67,22,969.52 को सम्मिलित करते हुए प्रश्नगत परियोजना की मूल लागत को संशोधित कर पुनरीक्षित लागत रू0 37,18,50,577.97 (रू0 सैंतीस करोड़ अट्ठारह लाख पचास हजार पॉच सौ सहत्तर एवं सत्तानबे पैसे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु अवशेष धनराशि 9,27,50,000.00 में से मै0 इन्सप्रा इन्टरप्राइजेज इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा ई-निविदा में कोट की गई जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 5,67,22,969.52 (रू0 पॉच करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार नौ सौ उनहत्तर एवं बावन पैसे मात्र) का भुगतान किये जाने की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उपर्युक्तानुसार दी जाने वाली प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या-88/2018/1296/71-1-2018-जी-89/2017, दिनॉक 30.03.2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

संख्या:- 7/2020/ 2482(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी।
4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।